There are no labour law inspections in the state (As per attached GO dated 29th August 2003)

संख्या 2776/36-3-2003-11 (सा०)/98

प्रेपक,

मीरा यादव, प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन्।

सेवा में,

- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन
- श्रमायुक्त, उत्तर प्रवेश।
- समस्त विभागाय्यंक उत्तर प्रदेश।
- समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग - 3

विषय : इंस्पैकटर राज का समापन

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए हर स्तर पर निवेशो-मुखी एवं उद्योगपूरक दातावरण सुजित करने के लिए कटिबद्ध हैं। शासन द्वारा यह निर्णय स्तया गया है कि प्रदेश के उद्योगों को अनावश्यक इस्तक्षेप से मुक्त किया जाये, ताकि दे अपनी कर्जा का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए कर सर्कें।

इस सम्बन्ध में समयक विचरोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :- 🕠

''इस्पैक्टर राज तत्कालिक प्रभाव से मुअत्तल किया जाता है।'' त्रमायुक्त उतार प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलायिकारीगण उक्त आदेश का सुख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराई

प्रमुख सञ्जिब

सखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2003

कार्यालय, ज़िला मजिस्ट्रेट, मुफ्फरनगर। एं० 607/15-45/2000-03/ जे**०**ए०,

दिनाक × 20.9.2003

प्रतिलिपि समस्त उपजिला मिजिस्ट्रेट, मुजयकरनगर एवं सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा सहायक भगायुक्त मुजक्फरनगर को आदश्यक कोर्यवाही हेतु तथा एक प्रति गार्ड फाइल पर रखें।

(चन्द्रपाल सिंह) अपर जिला मजिस्ट्रेट 'प्रशासन' मुजफ्फरनगर

कार्यालय, भट्टाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरनगर पर्नाक 5149/जिञ्ड०के०/मुञ्नपर/2003-04

दिनांक : 11.11.03

प्रतिलिपि भी मोहित कुमार जैन, अय्यव आई.आई.ए., रेलवे रोह, शामली को दिनांक 31.10.03 में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में मांगे गये शासनादेश के क्रम में पत्रक की प्रति, सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र मुजफ्फरनगर

आज दिमांक 15-11-03 को उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यगण पत्र को ध्यान है अवलोकन का अपनी प्रमुख फाइल में लगा लें, यदि इसके उपरान्त भी कोई इंसपेक्टर परेशान करे तो तुरन्त पदाधिकारियों से सम्पर्क करे। हाण मोहित कुमार जैन, चैयएमैन, इंडियन इंडस्ट्रीण एलेलिएसन, चैकर-शामली द्वारा सम्माजीय सदस्यों की सेवा